राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2012–13 जयपुर, दिनांक : 16 JUL 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में राशि कम पडने पर अन्य योजनाओं से समन्वय के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्म गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में संशोधन कर योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर ही संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों को अन्य विभागों एवं योजनाओं के साथ समन्वय कर कराए जाने का प्रावधान अधिनियम में निहित है। विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–1/2010 दिनांक 18.04.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ समन्वय के संबन्ध में निर्देश जारी किये जा चुके है (प्रति पुनः संलग्न)।

पंचायतीराज द्वारा विभागीय पत्रांक एफ4( )पंरावि/पीसी/नि.रा.यो./2011/1031 दिनांक 13.07.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में निर्बन्ध राशि से भुगतान किये जाने का प्रावधान निर्बन्ध राशि योजना के तहत किया गया है (प्रति संलग्न)।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत की सीमा में संधारित किये जाने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं, सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अन्य विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादित कराए जाने के प्रयास किये जावें।

भवदीय

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

(खजान सिंह)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–1/2010 जयपुर, दिनांक : 10 APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैडस) का मनरेगा के साथ अभिसरण।**

संदर्भ :–**सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक सी/16/2009–एमपीलैडस दिनांक 13.01.2012**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा मनरेगा के साथ एमपीलैड के अभिसरण की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस अभिसरण का लाभ उठाते हुए योजनान्तर्गत स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण तथा श्रम सामग्री का अनुपात निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार संधारित किये जाने का प्रयास किया जावें तथा ऐसे कार्य जिन पर सामग्री मद पर अधिक व्यय संभावित है, एमपीलैड के साथ अभिसरण के माध्यम से कराने का प्रयास किया जावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अमय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX 23364197
E-mail mplads@nic.in

Dated दिनांक: 13.01.2012

फाइल सं.सी/16/2009-एमपीलैड्स

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय:- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का मनरेगा के साथ अभिसरण ।

महोदय/महोदया,

मनरेगा के साथ एमपीलैड के अभिसरण की अनुमति देने के बारे में सरकार को कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए पैरा के अनुसार इन्हें मिलाने की अनुमति दी जाए । इसे एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में पैरा 3.17.1 के रूप में जोड़ा जाए :-

" 3.17.1 - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का मनरेगा के साथ अभिसरण - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को मनरेगा के साथ और ज्यादा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य मिलाया जा सकता है । सांसद अनुशंसा किए जाने वाले वर्ष के लिए जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित मनरेगा परियोजनाओं की सूची के कार्यों के साथ एमपीलैड्स के अभिसरण की सिफारिश कर सकते हैं और इस परियोजना सूची को जिले के लिए मनरेगा के तहत अनुमोदित कार्य-योजना तैयार करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए । जहां तक संभव हो, एमपीलैड निधियों का उपयोग केवल सामग्री घटक के संबंध में ही किया जाएगा ।

एक बार मनरेगा के लिए जिस कार्य की सिफारिश कर दी जाएगी उसे वापस लेने का अधिकार सांसदों को नहीं होगा । एमपीलैड्स निधियों के आहरण के अनुरोध के मामले में मनरेगा से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । सभी अनिवार्य शर्तों, जैसे कि कोई ठेकेदार नहीं होगा, मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, सामाजिक लेखा-परीक्षा अनिवार्य होगी आदि सहित मनरेगा के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा । जिला नियोजन समिति (डीपीसी)

ग्राम पंचायत को एमपीलैड्स के तहत अभिसरित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करेगी । जिला नियोजन समिति कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत को पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी । चूंकि अपेक्षा यह की जाती है कि सामग्री तथा श्रम घटक का उपयोग साथ-साथ ही होगा, अतः अभिसरण के ऐसे मामलों में एमपीलैड्स निधियों का उपयोग अंत में करना आवश्यक नहीं है ।

व्यय सम्बंधी खाते एमपीलैड्स और मनरेगा, दोनों के लिए अनिवार्यतः अलग-अलग रखे जाएंगे । कार्य की लागत, एमपीलैड योजना/मनरेगा से अंशदान, कार्य प्रारंभ तथा समाप्त होने एवं उदघाटन की तारीख और एमपीलैड योजना/मनरेगा के तहत कार्य प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए ।"

2. एमपीलैड्स/मनरेगा की अभिसरण स्कीमों के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से सम्बंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी
6. एनआईसीः एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 4 ( ) परावि/पीसी/नि.रा.यो./2011/103 जयपुर दिनांक 13/7/12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओ हेतु) वर्ष 2011–12 हेतु जारी दिशा–निर्देशों के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र कमांक 857 दिनांक 9.9.11 द्वारा जारी निर्बन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) योजना के दिशा–निर्देश के बिन्दू संख्या 5–सम्पादित कराये जाने वाले कार्य के बिन्दु–(ग) 2 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है :–

"सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो में स्थाई प्रकृति के समस्त कार्य जो नरेगा योजना में अनुमत है, पर सामग्री मद में 40प्रतिशत से अधिक व्यय होने वाली राशि का भुगतान निर्बध राशि से हो सकेगा।"

उक्त अतिरिक्त प्रावधान वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331200553 दिनांक 02.07.12 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में किया जाता है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राजस्थान।
6. निजी सचिव अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
8. आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
9. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
10. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
11. जिला प्रमुख जिला परिषद समस्त।
12. जिला कलक्टर समस्त।
13. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
14. सहायक अभियन्ता(सी.डी.), ज़िला परिषद समस्त।
15. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को भेज कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रेषित करावे।
16. समस्त अधिकारीगण पंचायती राज मुख्यलय।
17. प्रोग्रामर ,पंचायती राज मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.)
13/7